

फर्द अहकाम

रामचरण बनाम रामकरण के.गं  
 दावा ब्यापत इस्तकरार हक  
 अन्तर्गत धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट  
 वादी गणों को और से श्री राम भोसी गुहा एडवो  
 ने दावा ब्यापत इस्तकरार हक पेश किया। अवलोकन  
 किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्र किया जावे।  
 सम्मन विक्रम प्रतिवादी गण जारी होकर पत्रा  
 फिंक 30.6.10 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 टोडाभीम, करौली (राजग)

30% बार एतौ इश्र भगवती काम स्पार्गल  
 शक गया। गलतुगार दि. 21/7/10 को  
 पेश हो।

7/10 वाडीगण वकील उपखण्ड। पालीवारी नं.  
 112 को और से सुरेशचंद शर्मा एड. ने  
 वकालतनामा पेश किया। अप वाडीगण  
 से- 2 मगागन 13 वाव पुद सुधाजा उपखण्ड  
 वकी। P.O. सा. गुगाण 42 पक्षरें हैं।  
 गवाबुस् वास्त अग्रिम आदेश। दिनांक  
 11/8/10 को पेश हो।

वकील उपखण्ड। P.O. सा. गुगाण  
 वकी से वास्त वकी के कारण गलतुगार  
 दि. 15/9/10 को पेश हो।

फर्द अहकाम

14<sup>3</sup>/<sub>15</sub> वादी वकील उप। तहसीलदार टोडाभीम  
 द. 026 R9 का जवाब पेश। रिपोर्ट गलत  
 नहीं हुई है। पुनः स्मरणपत्र जारी कर  
 दिनांक 22.4.15 को रिपोर्ट तलब की जाए।

22<sup>4</sup>/<sub>15</sub> वादी वकील उप। पैरोका सरका उप।  
 रिपोर्ट पेश होने हेतु पैरोका सरका को हिदायत  
 की गई। आर्डर रिपोर्ट पेश करने दि. 27.5.15  
 को पेश हो।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... पदमपुरा  
 में दिनांक... 4.6.15 को पेश हो।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर... गोरड़ा  
 में दिनांक... 8.6.15 को पेश हो।

3-6-15 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर  
 गोरड़ा पर पेश हुई। वादी रामचरण व  
 वादी वकील उपस्थित हुए। तहसीलदार  
 टोडाभीम ने द. 026 R.9 CPC की रिपोर्ट  
 इस आशय से पेश की है कि साबिक  
 खसरा नम्बर 574 के नवीन खसरा नम्बर  
 907, 908, 912, 913, 914, 915, 916  
 0.02, 0.16, 0.02, 0.02, 0.15, 0.47, 0.50  
 सही क्रम में पेश हैं। जो सही है। उप।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोंडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
	खसरा नम्बर की खातेदारी वादीगणके नाम हैं जो मौके पर काबिज है। ख.नं. 898, 899, 900 की खातेदारी प्रतिवादीगणके नाम हैं जो मौके पर काबिज हैं। इनके पक्षों की जालमेठ बनी हुई है। साबिक गवशा तीट से नई गवशा तीट बनाई गई है। जो सही है कोर्ट डुरुस्ती बिधे जाने योग्य नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार टोंडाभीम का वादीगण व वादी वकीलने अवलोकन किया। उन्होंने कादपत्र में वर्णित लक्ष्यों को दोहराते हुए अपना दावा सिद्धी करने का कथन किया। वादी एवं वादी वकील की कसूर पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रारोह लक्षा से गवशा तीट साबिक बखाम का का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोंडाभीम की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कंकित किया है कि ग्राम नोंद खुर्द की शर्मे साबिक खसरा नम्बर 574 रकबा 219 का मकीन खसरा नम्बर 907, 908, 912
	0'02, 0'16, 0'02

13  
02  
गले  
98  
गले  
सो  
गले  
ली  
रही  
खते  
वारि  
शवत  
गले  
112,  
रही  
न्या  
ने क

प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

(6)

फर्द अहकाम

913, 914, 915, 916 कुल रकबा 1.34 हे. की  
 0.02, 0.15, 0.47, 0.50

खतियारी सही व पूर्ण रकबा की दी गई है। ख.नं. 898, 899, 900 की खतियारी की प्रतिवादी गण की खतियारी व कठजे काशत की भूमि है मोकियादीनों क्षेत्रों की भूमि में डील में डं काफ़ी पुरानी बनी हुई है। जो सही है। साक्षिक नक्शा नीचे नई नक्शा सीट नहीं बनाई गई है। कोई इकतली किये जाने योग्य नहीं है।

इस प्रकार यह प्रमाण इ-हाज इकतली घोषणा खतियारी का उचित प्रतीत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः दावा वादीगण विकस प्रतियोगिता कावत घोषणा खतियारी व श्याफी निषेधाज्ञा का गत खसरा नम्बर  $\frac{574}{579}$  के मवीन नम्बर 907, 908, 912, 913, 914, 915, 916 कुल मिला 7 कुल रकबा 1.34 हे. नहीं कनाये जाने से खारिज किया जाता है। पर्या डिक्ली जारी हो।

पत्रावली फ़ैलल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

